भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.778

दिनांक 7 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देना

778. श्री के. नवासखनी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक्स, भेषज और उच्च प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ाना चाहिए और कृषि निर्यातों, जहां देश पहले से ही अच्छा कर रहा है, पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रखना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) सरकार की निर्यात प्रोत्साहन गतिविधि एक सतत गतिविधि है और यह एक तथ्य है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, इंजीनियरिंग और कृषि निर्यात ने पिछले दशक में अच्छा प्रदर्शन किया है। उपर्युक्त क्षेत्रों का निर्यात निष्पादन इस प्रकार है:

मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में

वस्तु	2014-15	2022-23	वृद्धि (%)
ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स	15.43	25.39	64.55
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	6.26	23.55	276.21
इंजीनियरिंग वस्तुएं	73.07	107.04	46.48
कृषि	37.16	52.34	40.87

स्रोत: डीजीसीआईएस

(ख) एवं (ग) : सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

(i) नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च, 2023 को शुरू की गई और 1 अप्रैल, 2023 से लागू हुई।

(ii) प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समानीकरण योजना को भी 30-06-2024 तक बढ़ा दिया गया है।

(iii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं, अर्थात्, निर्यात व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) और बाजार पहुँच पहल (एमएआई) योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

(iv) श्रम उन्मुख क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी तथा करों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना 07.03.2019 से लागू की गई है।

(v) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना 01.01.2021 से लागू की गई है। 15.12.2022 से, फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों और लौह एवं इस्पात की वस्तुओं जैसे अनछुए क्षेत्रों को आरओडीटीईपी के तहत शामिल किया गया है। इसी प्रकार, 432 टैरिफ लाइनों में विसंगतियों का सामाधान किया गया है और सही दरों को 16.01.2023 से लागू किया गया है।

(vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए मूलता के प्रमाण पत्र के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

(vii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके, इन उत्पादों के निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करके और जिले में रोजगार पैदा करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं की सहायता करके जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में लॉन्च किया गया है।

(viii) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा देने की दिशा में विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका बढ़ाई गई है।

(ix) विदेशों में वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों/प्राधिकरणों और उद्योग संघों के साथ निर्यात निष्पादन की नियमित निगरानी करना और समय-समय पर सुधारात्मक उपाय करना।

(x) भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए मित्र देशों के साथ विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते में रुपये के व्यापार की भी अनुमति दी है।

***